



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



सर्वोच्च न्यायालय

पत्रांक-2026 /12-1 :देहरादून: दिनांक: 10-जनवरी, 2025.
फरवरी

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (कै०),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद देहरादून में सबमरजैस मोटर मार्ग के किमी० 18 से ग्राम मैसासा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.4025 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal NO- FP/UK/ROAD/45839/2020)
9447/2015

सन्दर्भ :- उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०- 509(1)/X-4-15/1(290)/2015 दिनांक 25.07.2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के पत्रांक 3690/12-1 दिनांक 21.12.2024 के माध्यम से अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र०	अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता के द्वारा प्राप्त पत्र सं० 600/12-1 दिनांक 25.08.2015 में इंगित आवश्यक धनराशि रु० 800000.00 मात्र पूर्व में जमा की जा चुकी हैं। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि रु० 5698522.00 मात्र जमा की गयी है, जिसमें इस मार्ग की धनराशि भी सम्मिलित है। (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता के द्वारा प्राप्त पत्र सं० 600/12-1 दिनांक 25.08.2015 में इंगित आवश्यक धनराशि रु० 264443.00 मात्र जमा कर दी गयी हैं। इस कार्यालय द्वारा धनराशि रु० 5698522.00 मात्र जमा की गयी है, जिसमें इस मार्ग की धनराशि भी सम्मिलित है। पुनः प्रभागीय वनाधिकारी चकराता के पत्र सं० 1144/12-1 दिनांक 10.09.2024 द्वारा प्राप्त एन०पी०वी० की अवशेष धनराशि रु० 140154.00 मात्र जमा कर दी गयी है। (चालान की छायाप्रति संलग्न)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य हैं। (संलग्नक-2)

4	भारत सरकार के पत्र सं०- 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य हैं।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य हैं।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जाएगा (संलग्नक-3)
7	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य हैं।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य हैं।
9	प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से मूल्य (प्रीमियम) निर्धारित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम लिया जायेगा व प्रयोक्त एजेंसी द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही वन भूमि का कब्जा प्रयोक्ता एजेंसी को दिया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य हैं।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य हैं।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :- 2026/12-1 (दे०दू०) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता**

पत्रांक:- 3696 / 12-1

चकराता, दिनांक

21 दिसम्बर 2024

सेवा में

✓ अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय:- जनपद देहरादून में सबमरजैस मोटर मार्ग के किमी० 18 से ग्राम मैसासा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.4025 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड शासन शासनादेश संख्या -509(1)/X-4-15/1(290)/2015 दिनांक 25.07.2015 (सैद्धान्तिक स्वीकृति) व अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया की पत्र संख्या-1990/6 सी० दिनांक 27.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वर्णित मार्ग पर, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०-509(1)/X-4-15/1(290)/2015 दिनांक 25.07.2015 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या- 3210/12-1 दिनांक 14.03.2019 से आपको विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।

परन्तु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी आदेश सं० 5-3/2011-एफ०सी० दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि नई दरों से जमा करने हेतु इस कार्यालय की पत्र संख्या 1144/12-1 दिनांक 10.09.2024 प्रयोक्ता एजेन्सी को लिखा गया है।

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सन्दर्भित पत्र से एन०पी०वी० की धनराशि नई दरों से जमा करते हुए एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून पत्रांक सं० 3286 दिनांक 12-1 पत्रांक 10-2-25	अवगत कराना है कि आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रु. 800000.00 की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्व में जमा करायी जा चुकी है चालान की प्रति (संलग्न-1) एवं उक्त की सूचना इस कार्यालय की पत्र संख्या - 3210/12-1 दिनांक 14.03.2019 से पूर्व में आपको प्रेषित की जा चुकी है पत्र संलग्न (संलग्न-2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रु० 2,64,443.00 पूर्व में जमा की जा चुकी है चालान की प्रति (संलग्न-3) एवं भारत सरकार

प्रभारी देहरादून

आ.का.कै.।

NEW 4239

21-12-25



		द्वारा जारी आदेश सं०-5-3/2011-एफ०सी० दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की नई दरों अनुसार धनराशि रु० 140154.00 मात्र जमा कर दी गई चालान की प्रति (संलग्न-4)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्न-5)
4	भारत सरकार के पत्र सं०- 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न। (संलग्न-6)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से मूल्य (प्रीमियम) निर्धारित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम लिया जायेगा व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही वन भूमि का कब्जा प्रयोक्ता एजेन्सी को दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।



dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in

टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन नं० 18008909715

अतः महोदय उपरोक्त अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ सादर प्रेषित की उक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय

(अभिमन्यु)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक- 3690 / 12-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, सहिया को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अभिमन्यु)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०, सहिया देहरादून



Office of the Executive Engineer, Ty. Divi., PWD, Sahiya, Dehradun Uttarakhand

Phone/ Fax:- 01360-276595

E-mail: eepwdsahiyakalsi@gmail.com

Web-http://uk.pwd.gov.in

पत्रांक 1990/6सी
सेवा में

दिनांक 27/11/2024

✓ प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग चकराता,
कालसी,

विषय:- जनपद देहरादून में सबमरजैस मोटर मार्ग के किमी० 18 से ग्राम मैसासा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.4025 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- सैद्धान्तिक स्वीकृति शासनादेश संख्या -509(1)/X-4-15/1(290)/2015 दिनांक 25.07.2015
महोदय,

उपरोक्त विषयक सदरभित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त वर्णित मार्ग में वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०-509(1)/X-4-15/1(290)/2015 दिनांक 25.07.2015 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी चकराता के पत्र संख्या- 3210/12-1 दिनांक 14.03.2019 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित। परन्तु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हुए प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी आदेश सं० 5-3/2011-एफ०सी० दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि नई दरों से जमा की जानी है, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी चकराता के पत्र सं० 1144/12-1 दिनांक 10.09.2024 द्वारा एन०पी०वी० की अवशेष धनराशि का डिमांड नोट इस कार्यालय को प्रेषित। प्राप्त डिमांड के क्रम में एन०पी०वी० AD, HOC. CAMPA FUND के नाम जमा कर दी गयी है। उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित कि जा रही है।

क्र० सं०	बिन्दु जिनकी सूचना चाही गयी है	बिन्दुवार सूचना का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता के द्वारा प्राप्त पत्र सं० 600/12-1 दिनांक 25.08.2015 में इंगित आवश्यक धनराशि रु० 800000.00 मात्र पूर्व में जमा की जा चुकी हैं। इस कार्यालय द्वारा धनराशि रु० 5698522.00 मात्र जमा की गयी है, जिसमें इस मार्ग की धनराशि भी सम्मिलित है। (चालान की छायाप्रति संलग्न)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता के द्वारा प्राप्त पत्र सं० 600/12-1 दिनांक 25.08.2015 में इंगित आवश्यक धनराशि रु० 264443.00 मात्र जमा कर दी गयी हैं। इस कार्यालय द्वारा धनराशि रु० 5698522.00 मात्र जमा की गयी है, जिसमें इस मार्ग की धनराशि भी सम्मिलित है। पुनः प्रभागीय वनाधिकारी चकराता के पत्र सं० 1144/12-1 दिनांक 10.09.2024 द्वारा प्राप्त एन०पी०वी० की अवशेष

२

P.T.O

		धनराशि रु0 140154.00 मात्र जमा कर दी गयी है। (चालान की छायाप्रति संलग्न)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	मान्य हैं। (वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
4	भारत सरकार के पत्र सं0- 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।	मान्य हैं।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दुसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	मान्य हैं।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
7	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	मान्य हैं।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	मान्य हैं।
9	प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से मूल्य (प्रीमियम) निर्धारित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम लिया जायेगा व प्रयोक्त एजेंसी द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही वन भूमि का कब्जा प्रयोक्ता एजेंसी को दिया जायेगा।	मान्य हैं।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	मान्य हैं।

अतः उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करे।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया

अधिशाली अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
16	FP/UK/ROAD/11022/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11022/2015) Mahasu Devta Thana Link Motor Road	ROAD110222015456	6111022456	02 Jul 2015	CA: 99099/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 355000/- NPV: 292793/- strip plantation 0/- strip plantation 0/- strip plantation 0/- strip plantation 0/- Total : 746892/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Generated On Transaction Date : 10 Dec 2019 : 02 Jan 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/121110123612152V781m.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD110222015456)
17	FP/UK/ROAD/9447/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9447/2015) Submergence Road Km 18 to Maisasa MR	ROAD94472015353	6194470353	25 Jul 2015	CA: 115115/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 800000/- NPV: 264443/- strip plantation 0/- strip plantation 0/- strip plantation 0/- strip plantation 0/- Total : 1179558/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Generated On Transaction Date : 23 Dec 2019 : 02 Jan 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/12112012421212NBPOQsm.pc) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD94472015353)

12

सत्यापित छायाप्रति

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
साहिया (देहरादून)



(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

Open Government Data (OGD) Platform India



MeitY

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
16	FP/UK/ROAD/11022/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11022/2015) Mahasu Devta Thana Link Motor Road	ROAD110222015456	6111022456	02 Jul 2015	CA: 99099/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 355000/- NPV: 292793/- strip plantation 0/- strip plantation 0/- strip plantation 0/- strip plantation 0/- Total : 746892/-	Paid	Fund Demand Verified by : 10 Dec 2019 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : On Transaction Date : 02 Jan 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/121110123612152V781m.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD110222015456)
17	FP/UK/ROAD/9447/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9447/2015) Submergence Road Km 18 to Maisasa MR	ROAD94472015353	6194470353	25 Jul 2015	CA: 115115/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 800000/- NPV: 264443/- strip plantation 0/- strip plantation 0/- strip plantation 0/- strip plantation 0/- Total : 1179558/-	Paid	Fund Demand Verified by : 23 Dec 2019 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : On Transaction Date : 02 Jan 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/12112012421212NBPOQsm.pc) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD94472015353)

12

सत्यापित छायाप्रति

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, जो 0 नि 0 वि 0
साहिया (देहरादून)



SWACHH BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



MeitY

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilstatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

dfc_chakrata_uta@yahoo.co.in
टेली. फ़ैक्स नं०-01360-275076



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-3210/12-1

दिनांक, चकराता 14 मार्च 2019

सेवा में,
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि संवर्क्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
विषय :- जनपद-देहरादून के अन्तर्गत सबमरजेंस मोटर मार्ग से नैसासा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
0.4025 है० हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
संदर्भ - आपका पत्रांक-434 दि० 05.08.2015

महोदय,
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरूपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है।
1-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास स्थित पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु रु० 8,00,000.00 मात्र (रु० आठ लाख मात्र) एवं क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु रु० 1,15,115.00 मात्र की धनराशि एड-हॉक कैम्पा के खाते में जमा कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।
2-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की धनराशि रु० 2,64,443.00 मात्र (रु० दो लाख चौसठ हजार चार सौ चालीस मात्र) एड-हॉक कैम्पा के खाते में जमा कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।
3-क्र०सं०-1 एवं 2 के अनुसार एड-हॉक कैम्पा के खाते में धनराशि ऑनलाईन जमा कर दी गई है।
4-शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अतिरिक्त धनराशि जमा की जायेगी।
5-क्र०सं०-1 एवं 2 के अनुसार एड-हॉक कैम्पा के खाते में धनराशि ऑनलाईन जमा कर दी गई है।
6-प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियां एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण-पत्रों का उपलब्ध करा दी गई है।
8-प्रयोक्ता अभिकरण को शर्तें मान्य हैं।
संदर्भित पत्र में वर्णित समस्त शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अक्षरशः पालन किया गया है/किया जायेगा। वीछित अभिलेख तीन-तीन प्रतियों में संलग्न प्रेषित है। अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,
(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक- 3210 / 12-1 तददिनांकित
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, साहेबा को उनको पत्रांक-437/6सी
दि० 05.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

dfc_chakrata_uta@yahoo.co.in
टेली. फ़ैक्स नं०-01360-275078



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-3210/12-1

दिनांक, चकराता 17 मार्च 2019

सेवा में,

विषय :-

संदर्भ -
महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि संवर्क्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
जनपद-देहरादून के अन्तर्गत सबमरजेंस मोटर मार्ग से नैसासा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
0.4025 हैठ हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
आपका पत्रांक-434 दि० 05.08.2015

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिलेखित शर्तों की अनुपालना
आख्या निम्नानुसार प्रेषित है।
1-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास स्थित पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं
10 वर्षों तक रख रखाव हेतु रु० 8,00,000.00 मात्र (रु० आठ लाख मात्र) एवं क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु
रु० 1,15,115.00 मात्र की धनराशि एड-हॉक कैम्पा के खाते में जमा कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।
2-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये
गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की धनराशि रु० 2,64,443.00 मात्र (रु० दो लाख चौरास
हजार चार सौ चालीस मात्र) एड-हॉक कैम्पा के खाते में जमा कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।
3-क्र०सं०-1 एवं 2 के अनुसार एड-हॉक कैम्पा के खाते में धनराशि ऑनलाईन जमा कर दी गई है।
4-शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में वृद्धि होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा
अतिरिक्त धनराशि जमा की जायेगी।
5-क्र०सं०-1 एवं 2 के अनुसार एड-हॉक कैम्पा के खाते में धनराशि ऑनलाईन जमा कर दी गई है।
6-प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियां एवं
भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण-पत्रों का
उपलब्ध करा दी गई है।
8-प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
संदर्भित पत्र में वर्णित समस्त शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अक्षरशः पालन किया गया
है/किया जायेगा। वॉछित अभिलेख तीन-तीन प्रतियों में संलग्न प्रेषित है। अतः आपसे अनुरोध है कि
विषयगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृति करने हेतु अप्रेक्ष्य कार्यवाही करने का कष्ट करें।
शेल्मनक - यथोपरि।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-3210/12-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, साहिवा को उनके पत्रांक-437/6सी
दि० 05.03.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

सत्यापित छायाप्रति
सहायक अभियन्ता
अस्थाई स्टाफ लो०नि०वि०
साहिबा (देहरादून)

Photo copy attested
 5/3/17
 सहायक अभियन्ता
 अस्थाई खण्ड लोडिंग वि.
 सहिया (देहरादून)

[illegible]

21/7/18
 महायक मणिलता-
 मलार्ड हाड हो. नि. 12
 महिया

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  **Union Bank of India**

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 03-10-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	6194470394
MoEF/SG File No.	1(290)/2015
Address.	Executive Engineer, ty. division, PWD, Sahitya Dehradun Dehradun
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdsahiyakalsi@gmail.com 9456745631 1360-274595
Amount(In Rs)	140154/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount In Words: One Lakh Forty Thousand One Hundred and Fifty-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature)  Bank Official (Signature)

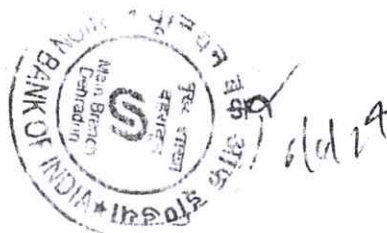
Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INSTAID.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

सत्यापित छायाप्रति
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, सी०नि०वि०
साहिया (देहरादून)

After making successful payment, User Agencies m,

Note: After making the required payment through ch, even after 7 working days, then kindly mail a copy of Id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse



AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 03-10-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	6104470394
MoEF/SG File No.	1(290)/2015
Address.	Executive Engineer, ty. division, PWD, Sahiya Dehradun Dehradun
Remitter Contact No.	
Email-Id.	eepwdsahiyakalsi@gmail.com
Mobile No.	9456745631
Landline No.	1360-274595
Amount(In Rs)	140154/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words: One Lakh Forty Thousand One Hundred and Fifty-Four Rupees Only

Depositor Signature
(Signature)

Bank Official
(Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

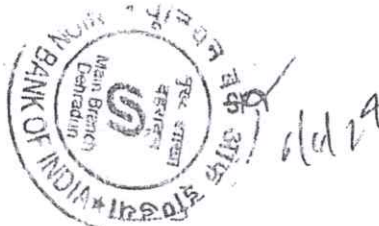
- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DN.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

सत्यापित छायाप्रति

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, सी० नि० वि०
साहिया (देहरादून)

After making successful payment, User Agencies m

Note: After making the required payment through ch, even after 7 working days, then kindly mail a copy of Id to Email: fcsbir@unionbankofindia.bank, epurse



प्रारूप-51

परियोजना का नाम- जनपद देहरादून में सबमरजेंस मोटर मार्ग से मैसासा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.4025 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया


अधिशायी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया

प्रारूप-51

परियोजना का नाम- जनपद देहरादून में सबमरजेंस मोटर मार्ग से मैसासा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.4025 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया


अधिशायी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया

प्रारूप-34

परियोजना का नाम- जनपद देहरादून में सबमरजेंस मोटर मार्ग से मैसासा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.4025 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया


अधिशायी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया

प्रारूप-34

परियोजना का नाम- जनपद देहरादून में सबमरजैस मोटर मार्ग से मैसासा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.4025 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया